



XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.2058-दो/15

जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-8-15	<p>प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर आज प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव, अभि. उप. । उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया । प्रकरण रेस्टोरेशन आवेदन पर आदेशार्थ</p>	 सदस्य
1-9-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आ.550-दो/03 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड में</p>	 सदस्य



न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015 विविध-2058-II-15

श्री. आर. पी. दिवेली
द्वारा आज दि. 27/5 को प्रस्तुत

श्री. विवेनी. प्रसाद कुंज बाबुर प्रसाद वि.
गण कुंडवा तह रोगपुर मन्नापुरिजन
—आवेदक

राजस्व मण्डल म. ग्वालियर

विरुद्ध
श्री. लक्ष्मण तनप मन्नाकुण्ड वि.
अवेदक

श्री. प्रभा. शर्मा —अनावेदक

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

- आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-
- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 550/माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.3.15 को नियत था।
 - 2 यह कि, नियत दिनांक 26.3.15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
 - 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 550 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक 27/5
स्थान-ग्वालियर

श्री. विवेनी प्रार्थी
श्री. प्रसाद कुंज बाबुर प्रसाद वि.
श्री. आर. पी. दिवेली